FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

चिमना राम वगैरह बनाम शोभा वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 42 / सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16/7/20	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 92 ए RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17/09/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)	492 to 493 16/8/2020
20/8/20	वाद सं. 12/20 के उभय पत्रावली तलब किये जाने पर प्रकरण पेश होते हैं पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि इस वाद के पूर्व वाद 12/20 नंदराम चौधरी विरुद्ध का निराकृत हो चुके वाद की भाषा एवं पक्षकार एक समान ही है व इन्हीं कारणों से भी समान ही हो अतः इस वाद के पूर्व वाद 12/20 के साथ तलब किया जाय हो। SDO.	
20/8/20	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पूर्ववर्ती वाद 12/20 अन्तिम निर्णय हो चुका है जिसके उभय पक्षकारान का नंदराम हो चुका है अन्य दावागत वाद के कोई कारण नहीं बनते हैं वादी का वाद खारिज किया जाय हो। पक्षः केवल हुकमत होकर नम्बर कर हो। वाद वकील फारक पारिवल पकरार लेख। अकार किया जाय हो। SDO.	No objection 23/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:49 IST
Reason: SelfAttested